lanHkZ la[;k% 3,@vkj&31@8733 14 flrEcj 10

Lkok e]
eq[; lfpo
mÙkj izns'k 'kklu]
y[kuÅ

fo"k; %& mÙkj izns'k Hkwty lja{k.k] lqj{kk vkSj fodkl ¼izca/ku] fu;a=.k vkSj fu;eu½ fo/ks;d 2010 ij vkifÙk o lq>ko

महोदय,

हमारी संस्था सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की प्रतिनिधि संस्था है। यह प्रषंसनीय है कि भूजल प्रबंधन को प्रदेष सरकार की प्राथमिकता पर ले लिया है। यह प्रत्येक नागरिक, संस्था एवं उद्योग का नैतिक दायित्व है कि वह अनैतिक भूजल दोहन को रोके और भूजल रीचार्ज/रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें। हमारे विचार से इसके लिये कानून से अधिक षिक्षा एवं जागरूकता की आवष्यकता हैं। यह सराहनीय है कि सरकार ने इस विधेयक पर सभी से आपत्ति व सुझाव माँगे है। यह अधिनियम व्यापक रूप से प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है अतः इसे व्यवहारिक बनाने की आवष्यकता है। इस कानून की सफलता की कुंजी जनता के हाथ में है इसलिये जनता को साथ लेकर चलना आवष्यक है। यहाँ यह भी सुनिष्चित करना है कि यह कानून कहीं प्रदेष के उद्योगों एवं जनता के विकास में बाधक न बने।

उपरोक्त अधिनियम पर विचारोपरान्त हमारे आपत्ति व सुझाव निम्नवत् है।

1) विधेयक की धारा 3 में उत्तर प्रदेष भूजल प्राधिकरण कि गठन का प्रावधान है। जहाँ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि इस प्राधिकरण के सदस्य बनाये गये है वहीं उद्योग का कोई प्रतिनिधि इस प्राधिकरण में नामित नहीं किया गया है। प्रमुख सचिव लघु उद्योग/आद्यौगिक विकास आयुक्त/निदेषक उद्योग एवं हमारी संस्था से भी एक–एक सदस्य को उपरोक्त प्राधिकरण में षामिल किया जाना अपेक्षित है।

2) विधेयक की धारा 12, 14 एवं 15 में मौजूदा एवं नये उपभोक्ता (जिसमें उद्योग सम्मिलित है) को निबंधन के लिये कम से 6 माह का समय दिया जाना न्यायसंगत व व्यवहारिक नहीं है चूंकि इन प्रावधानों की जानकारी आम आदमी तक देर से पहुँचती है। यही नहीं निबंधन की प्रक्रिया एवं निबंधन प्रार्थना पत्र भी सरल एवं छोटा होना चाहिये। यह भी अपेक्षित है प्रारम्भिक 5 वर्शों में कोई निबंधन फीस का प्रावधान नहीं होना चाहिये।

3) विधेयक की धारा 16 (1) में षहरी इलाकों में मात्र 0.5 होर्स पावर तक के पंपसेट को निबंधन से मुक्त रखा गया है। अधिकांष जनपदों मे भूजल की गहराई को दृष्टिगत रखते हुए 0.5 होर्स पावर के पंपसेट से पानी को टंकी तक चढ़ाया जाना नामुमकिन व अव्यवहारिक है। इसे बढ़ाकर 2.00 किलोवाट किया जाना चाहिये।

4) विधेयक की धारा 18 (प) व 19 (1) के तहत उद्योगों को नाजुक स्थिति वाले क्षेत्रों में भूजल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी गयी है। इससे औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होगा व युवाओं को रोजगार के अवसर समाप्त होगे। ऐसे क्षेत्रों में नहरो द्वारा अथवा जलसंचय/जल रीचार्ज द्वारा भूजल के स्तर को ऊपर लाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा स्वयं प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये। इस प्रावधान का हम पुरजोर विरोध करते है।

5) विधेयक की धारा 19 के अर्न्तगत भूजल दोहन की मात्रा को निर्धारित किया जायेगा जिसके उपरान्त दोहन की स्वीकृति उद्योग को नहीं मिलेगी। इससे उन उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनको उत्पादन में अधिक मात्रा में जल की आवष्यकता होती है। यह प्रावधान उद्योगों के हित में नहीं है और इसमें उचित संषोधन लाया जाना चाहिये।

6) विधेयक की धारा 22 के अनुसार ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्रों में 2 बोरिंग के मध्य दूरी को नियन्त्रित करने का प्रयास अव्यवहारिक है चूंकि छोटे मकानों/उद्योगों में आपसी दूरी व्यवहारिक रूप से बहुत कम होती है और प्रत्येक इकाई को अपनी प्रयोग के लिए अलग बोरिंग की आवष्यकता हैं।

7) विधेयक की धारा 25 में किसी भी परिसर पर तलाषी एवं जब्ती/कुर्की का अधिकार है। उद्योग पहले ही विभिन्न अधिनियमों में तलाषी को भ्रष्टाचार का माध्यम मानते है। इस प्रकार के असीमित अधिकार को विधेयक से पूरी तरह हटा देना ही उचित होगा।

8) विधेयक की धारा 34 (1) के अनुसार प्रथम अपराध पर 5000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है जब कि द्वितीय एवं अनुवर्ती अपराध पर 6 महीने तक की सजा एवं 10000 रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। यह प्रावधान अत्यन्त कठोर है और इनमें प्रारम्भिक 2 वर्शों के लिए मात्र सांकेतिक जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए।

9) विधेयक की धारा 34 (2) के अनुसार भूजल को प्रदूशित करने को एक अपराध माना गया है जिसके लिये कम से कम एक माह एवं अधिक से अधिक एक वर्श की सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान उद्योग जगत के विकास के लिये नकारात्मक सिद्ध होगा। उद्योग को हर समय यह साबित करना होगा कि भूजल में प्रदूशण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। धारा 34 (1) व 34 (2) के प्रावधान भ्रष्टाचार का कारक बनेगे। हम इसका भरपूर विरोध करते है।

10) यह कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये उपकरण एवं व्यवस्था बनाने के लिये सरकार को उद्योगों को आर्थिक सहायता/सब्सिडी दिया जाना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर उद्योग भी यह व्यवस्था सुचारू रूप से लागू कर सके।

हमें पूर्ण विष्वास है कि विधेयक को अन्तिम रूप देने से पूर्व आप हमारी आपत्तियों और सुझावों को अवष्य दृष्टिगत रखेगे। हम आपको यह पूर्ण विष्वास दिलाते है कि उद्योग जगत पूरी तरह षासन की भूजल संरक्षण की मुहिम में आपके साथ है पर हमको यह भरोसा चाहिये कि यह विधेयक हमारे षोशण का यन्त्र न बने और न ही इससे औद्योगिक विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो।

धन्यवाद

भवदीय

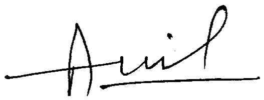

अनिल गुप्ता
अध्यक्ष

संदर्भ संख्याः 3,@vkj&31@8733 14 सितम्बर 10

सेवा में,
श्री सुषील कुमार, आई0ए0एस0,
प्रमुख सचिव
लघु सिंचाई विभाग एवं भूजल
उत्तर प्रदेष षासन, लखनऊ

fo"k; %& mÙkj izns'k Hkwty lqj{k.k] lqj{kk vkSj fodkl ¼izca/ku] fu;a=.k vkSj fu;eu½ fo/ks;d 2010 ij vkifÙk o lq>ko

महोदय,

हमारी संस्था सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की प्रतिनिधि संस्था है। यह प्रषंसनीय है कि भूजल प्रबंधन को प्रदेष सरकार की प्राथमिकता पर ले लिया है। यह प्रत्येक नागरिक, संस्था एवं उद्योग का नैतिक दायित्व है कि वह अनैतिक भूजल दोहन को रोके और भूजल रीचार्ज/रेन वाटर हार्वेस्टिग की व्यवस्था करें। हमारे विचार से इसके लिये कानून से अधिक षिक्षा एवं जागरूकता की आवष्यकता हैं। यह सराहनीय है कि सरकार ने इस विधेयक पर सभी से आपत्ति व सुझाव माँगे है। यह अधिनियम व्यापक रूप से प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है अतः इसे व्यवहारिक बनाने की आवष्यकता है। इस कानून की सफलता की कुंजी जनता के हाथ में है इसलिये जनता को साथ लेकर चलना आवष्यक है। यहाँ यह भी सुनिष्चित करना है कि यह कानून कहीं प्रदेष के उद्योगों एवं जनता के विकास में बाधक न बने।

उपरोक्त अधिनियम पर विचारोपरान्त हमारे आपत्ति व सुझाव निम्नवत् है।

1) विधेयक की धारा 3 में उत्तर प्रदेष भूजल प्राधिकरण कि गठन का प्रावधान है। जहाँ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि इस प्राधिकरण के सदस्य बनाये गये है वहीं उद्योग का कोई प्रतिनिधि इस प्राधिकरण में नामित नहीं किया गया है। प्रमुख सचिव लघु उद्योग/आद्यौगिक विकास आयुक्त/निदेषक उद्योग एवं हमारी संस्था से भी एक–एक सदस्य को उपरोक्त प्राधिकरण में षामिल किया जाना अपेक्षित है।

2) विधेयक की धारा 12, 14 एवं 15 में मौजूदा एवं नये उपभोक्ता (जिसमें उद्योग सम्मिलित है) को निबंधन के लिये कम से 6 माह का समय दिया जाना न्यायसंगत व व्यवहारिक नहीं है चूंकि इन प्रावधानों की जानकारी आम आदमी तक देर से पहुँचती है। यही नहीं निबंधन की प्रक्रिया एवं निबंधन प्रार्थना पत्र भी सरल एवं छोटा होना चाहिये। यह भी अपेक्षित है प्रारम्भिक 5 वर्शों में कोई निबंधन फीस का प्रावधान नहीं होना चाहिये।

3) विधेयक की धारा 16 (1) में षहरी इलाकों में मात्र 0.5 होर्स पावर तक के पंपसेट को निबंधन से मुक्त रखा गया है। अधिकांष जनपदों मे भूजल की गहराई को दृष्टिगत रखते हुए 0.5 होर्स पावर के पंपसेट से पानी को टंकी तक चढ़ाया जाना नामुमकिन व अव्यवहारिक है। इसे बढ़ाकर 2.00 किलोवाट किया जाना चाहिये।

4) विधेयक की धारा 18 (प) व 19 (1) के तहत उद्योगों को नाजुक स्थिति वाले क्षेत्रों में भूजल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी गयी है। इससे औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होगा व युवाओं को रोजगार के अवसर समाप्त होगे। ऐसे क्षेत्रों में नहरो द्वारा अथवा जलसंचय/जल रीचार्ज द्वारा भूजल के स्तर को ऊपर लाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा स्वयं प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये। इस प्रावधान का हम पुरजोर विरोध करते है।

5) विधेयक की धारा 19 के अर्न्तगत भूजल दोहन की मात्रा को निर्धारित किया जायेगा जिसके उपरान्त दोहन की स्वीकृति उद्योग को नहीं मिलेगी। इससे उन उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनको

उत्पादन में अधिक मात्रा में जल की आवष्यकता होती है। यह प्रावधान उद्योगों के हित में नहीं है और इसमें उचित संषोधन लाया जाना चाहिये।

6) विधेयक की धारा 22 के अनुसार ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्रों में 2 बोरिंग के मध्य दूरी को नियन्त्रित करने का प्रयास अव्यवहारिक है चूंकि छोटे मकानों/उद्योगों में आपसी दूरी व्यवहारिक रूप से बहुत कम होती है और प्रत्येक इकाई को अपनी प्रयोग के लिए अलग बोरिंग की आवष्यकता हैं।

7) विधेयक की धारा 25 में किसी भी परिसर पर तलाषी एवं जब्ती/कुर्की का अधिकार है। उद्योग पहले ही विभिन्न अधिनियमों में तलाषी को भ्रष्टाचार का माध्यम मानते है। इस प्रकार के असीमित अधिकार को विधेयक से पूरी तरह हटा देना ही उचित होगा।

8) विधेयक की धारा 34 (1) के अनुसार प्रथम अपराध पर 5000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है जब कि द्वितीय एवं अनुवर्ती अपराध पर 6 महीने तक की सजा एवं 10000 रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। यह प्रावधान अत्यन्त कठोर है और इनमें प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए मात्र सांकेतिक जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए।

9) विधेयक की धारा 34 (2) के अनुसार भूजल को प्रदूशित करने को एक अपराध माना गया है जिसके लिये कम से कम एक माह एवं अधिक से अधिक एक वर्श की सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान उद्योग जगत के विकास के लिये नकारात्मक सिद्ध होगा। उद्योग को हर समय यह साबित करना होगा कि भूजल में प्रदूशण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। धारा 34 (1) व 34 (2) के प्रावधान भ्रष्टाचार का कारक बनेगे। हम इसका भरपूर विरोध करते है।

10) यह कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये उपकरण एवं व्यवस्था बनाने के लिये सरकार को उद्योगों को आर्थिक सहायता/सब्सिडी दिया जाना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर उद्योग भी यह व्यवस्था सुचारू रूप से लागू कर सके।

हमें पूर्ण विष्वास है कि विधेयक को अन्तिम रूप देने से पूर्व आप हमारी आपत्तियों और सुझावों को अवष्य दृष्टिगत रखेगे। हम आपको यह पूर्ण विष्वास दिलाते है कि उद्योग जगत पूरी तरह षासन की भूजल संरक्षण की मुहिम में आपके साथ है पर हमको यह भरोसा चाहिये कि यह विधेयक हमारे षोशण का यन्त्र न बने और न ही इससे औद्योगिक विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो।

धन्यवाद

भवदीय

अनिल गुप्ता
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः

1. श्री अनूप मिश्रा आई0ए0एस0, औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री श्रीकृश्ण, आई0ए0एस0, प्रमुख सचिव लघु उद्योग, लखनऊ ।
3. श्री वी0एन0 गर्ग, आई0ए0एस0, अधिषासी निदेषक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
4. मो0 इफतखारूद्दीन, आई0ए0एस0, आयुक्त एवं निदेषक उद्योग, उद्योग निदेषालय, कानपुर।

अनिल गुप्ता

संदर्भ संख्याः 3,@vkj&31@8733 14 सितम्बर 10

सेवा में,
डा0 एस0के0 पाण्डेय,
निदेषक, भूजल विभाग,
एवं
स्पेषल सचिव लघु सिचाई विभाग एवं भूजल
उत्तर प्रदेष षासन, लखनऊ

fo k; %& mÙkj in'k Hkty lj{k.k] lj{kk vkj fodkl ¼ic/ku] fu;=.k vkj fu;eu½ fo/k;d 2010 ij vkifÙk o l>ko

महोदय,

हमारी संस्था सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की प्रतिनिधि संस्था है। यह प्रषंसनीय है कि भूजल प्रबंधन को प्रदेष सरकार की प्राथमिकता पर ले लिया है। यह प्रत्येक नागरिक, संस्था एवं उद्योग का नैतिक दायित्व है कि वह अनैतिक भूजल दोहन को रोके और भूजल रीचार्ज/रेन वाटर हार्वेस्टिग की व्यवस्था करें। हमारे विचार से इसके लिये कानून से अधिक षिक्षा एवं जागरूकता की आवष्यकता हैं। यह सराहनीय है कि सरकार ने इस विधेयक पर सभी से आपत्ति व सुझाव माँगे है। यह अधिनियम व्यापक रूप से प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है अतः इसे व्यवहारिक बनाने की आवष्यकता है। इस कानून की सफलता की कुंजी जनता के हाथ में है इसलिये जनता को साथ लेकर चलना आवष्यक है। यहाँ यह भी सुनिष्चित करना है कि यह कानून कहीं प्रदेष के उद्योगों एवं जनता के विकास में बाधक न बने।

उपरोक्त अधिनियम पर विचारोपरान्त हमारे आपत्ति व सुझाव निम्नवत् है।

1) विधेयक की धारा 3 में उत्तर प्रदेष भूजल प्राधिकरण कि गठन का प्रावधान है। जहाँ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि इस प्राधिकरण के सदस्य बनाये गये है वहीं उद्योग का कोई प्रतिनिधि इस प्राधिकरण में नामित नहीं किया गया है। प्रमुख सचिव लघु उद्योग/आद्यौगिक विकास आयुक्त/निदेषक उद्योग एवं हमारी संस्था से भी एक–एक सदस्य को उपरोक्त प्राधिकरण में षामिल किया जाना अपेक्षित है।

2) विधेयक की धारा 12, 14 एवं 15 में मौजूदा एवं नये उपभोक्ता (जिसमें उद्योग सम्मिलित है) को निबंधन के लिये कम से 6 माह का समय दिया जाना न्यायसंगत व व्यवहारिक नहीं है चूंकि इन प्रावधानों की जानकारी आम आदमी तक देर से पहुँचती है। यही नहीं निबंधन की प्रक्रिया एवं निबंधन प्रार्थना पत्र भी सरल एवं छोटा होना चाहिये। यह भी अपेक्षित है प्रारम्भिक 5 वर्शों में कोई निबंधन फीस का प्रावधान नहीं होना चाहिये।

3) विधेयक की धारा 16 (1) में षहरी इलाकों में मात्र 0.5 होर्स पावर तक के पंपसेट को निबंधन से मुक्त रखा गया है। अधिकांष जनपदों मे भूजल की गहराई को दृष्टिगत रखते हुए 0.5 होर्स पावर के पंपसेट से पानी को टंकी तक चढ़ाया जाना नामुमकिन व अव्यवहारिक है। इसे बढ़ाकर 2.00 किलोवाट किया जाना चाहिये।

4) विधेयक की धारा 18 (प) व 19 (1) के तहत उद्योगों को नाजुक स्थिति वाले क्षेत्रों में भूजल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी गयी है। इससे औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होगा व युवाओं को रोजगार के अवसर समाप्त होगे। ऐसे क्षेत्रों में नहरो द्वारा अथवा जलसंचय/जल रीचार्ज द्वारा भूजल के स्तर को ऊपर लाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा स्वयं प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये। इस प्रावधान का हम पुरजोर विरोध करते है।

5) विधेयक की धारा 19 के अर्न्तगत भूजल दोहन की मात्रा को निर्धारित किया जायेगा जिसके उपरान्त दोहन की स्वीकृति उद्योग को नहीं मिलेगी। इससे उन उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनको

उत्पादन में अधिक मात्रा में जल की आवष्यकता होती है। यह प्रावधान उद्योगों के हित में नहीं है और इसमें उचित संषोधन लाया जाना चाहिये।

6) विधेयक की धारा 22 के अनुसार ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्रों में 2 बोरिंग के मध्य दूरी को नियन्त्रित करने का प्रयास अव्यवहारिक है चूंकि छोटे मकानों/उद्योगों में आपसी दूरी व्यवहारिक रूप से बहुत कम होती है और प्रत्येक इकाई को अपनी प्रयोग के लिए अलग बोरिंग की आवष्यकता हैं।

7) विधेयक की धारा 25 में किसी भी परिसर पर तलाषी एवं जब्ती/कुर्की का अधिकार है। उद्योग पहले ही विभिन्न अधिनियमों में तलाषी को भ्रष्टाचार का माध्यम मानते है। इस प्रकार के असीमित अधिकार को विधेयक से पूरी तरह हटा देना ही उचित होगा।

8) विधेयक की धारा 34 (1) के अनुसार प्रथम अपराध पर 5000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है जब कि द्वितीय एवं अनुवर्ती अपराध पर 6 महीने तक की सजा एवं 10000 रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। यह प्रावधान अत्यन्त कठोर है और इनमें प्रारम्भिक 2 वर्शों के लिए मात्र सांकेतिक जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए।

9) विधेयक की धारा 34 (2) के अनुसार भूजल को प्रदूशित करने को एक अपराध माना गया है जिसके लिये कम से कम एक माह एवं अधिक से अधिक एक वर्श की सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान उद्योग जगत के विकास के लिये नकारात्मक सिद्ध होगा। उद्योग को हर समय यह साबित करना होगा कि भूजल में प्रदूशण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। धारा 34 (1) व 34 (2) के प्रावधान भ्रष्टाचार का कारक बनेगे। हम इसका भरपूर विरोध करते है।

10) यह कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये उपकरण एवं व्यवस्था बनाने के लिये सरकार को उद्योगों को आर्थिक सहायता/सब्सिडी दिया जाना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर उद्योग भी यह व्यवस्था सुचारू रूप से लागू कर सके।

हमें पूर्ण विष्वास है कि विधेयक को अन्तिम रूप देने से पूर्व आप हमारी आपत्तियों और सुझावों को अवष्य दृष्टिगत रखेगे। हम आपको यह पूर्ण विष्वास दिलाते है कि उद्योग जगत पूरी तरह षासन की भूजल संरक्षण की मुहिम में आपके साथ है पर हमको यह भरोसा चाहिये कि यह विधेयक हमारे षोशण का यन्त्र न बने और न ही इससे औद्योगिक विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो।

धन्यवाद

भवदीय

अनिल गुप्ता
अध्यक्ष

संदर्भ संख्याः 3,@vkj&31@8733 14 सितम्बर 10

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

श्री सुशील कुमार, आई0ए0एस0,
प्रमुख सचिव
लघु सिंचाई विभाग एवं भूजल, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

डा0 एस0के0 पाण्डेय,
निदेशक, भूजल विभाग, एवं स्पेशल सचिव लघु सिचाई विभाग एवं भूजल
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

fo"k; %& mÙkj izns'k Hkwty lja{k.k] lja{kk vkj fodkl ¼izca/ku] fu;a=.k vkj fu;eu½ fo/ks;d 2010 ij vkifÙk o lq>ko

महोदय,

हमारी संस्था सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की प्रतिनिधि संस्था है। यह प्रषंसनीय है कि भूजल प्रबंधन को प्रदेष सरकार की प्राथमिकता पर ले लिया है। यह प्रत्येक नागरिक, संस्था एवं उद्योग का नैतिक दायित्व है कि वह अनैतिक भूजल दोहन को रोके और भूजल रीचार्ज/रेन वाटर हार्वेस्टिग की व्यवस्था करें। हमारे विचार से इसके लिये कानून से अधिक षिक्षा एवं जागरूकता की आवष्यकता हैं। यह सराहनीय है कि सरकार ने इस विधेयक पर सभी से आपत्ति व सुझाव माँगे है। यह अधिनियम व्यापक रूप से प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है अतः इसे व्यवहारिक बनाने की आवष्यकता है। इस कानून की सफलता की कुंजी जनता के हाथ में है इसलिये जनता को साथ लेकर चलना आवष्यक है। यहाँ यह भी सुनिष्चित करना है कि यह कानून कहीं प्रदेष के उद्योगों एवं जनता के विकास में बाधक न बने।

उपरोक्त अधिनियम पर विचारोपरान्त हमारे आपत्ति व सुझाव निम्नवत् है।

1) विधेयक की धारा 3 में उत्तर प्रदेष भूजल प्राधिकरण कि गठन का प्रावधान है। जहाँ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि इस प्राधिकरण के सदस्य बनाये गये है वहीं उद्योग का कोई प्रतिनिधि इस प्राधिकरण में नामित नहीं किया गया है। प्रमुख सचिव लघु उद्योग/आद्यौगिक विकास आयुक्त/निदेषक उद्योग एवं हमारी संस्था से भी एक–एक सदस्य को उपरोक्त प्राधिकरण में षामिल किया जाना अपेक्षित है।

2) विधेयक की धारा 12, 14 एवं 15 में मौजूदा एवं नये उपभोक्ता (जिसमें उद्योग सम्मिलित है) को निबंधन के लिये कम से 6 माह का समय दिया जाना न्यायसंगत व व्यवहारिक नहीं है चूंकि इन प्रावधानों की जानकारी आम आदमी तक देर से पहुँचती है। यही नहीं निबंधन की प्रक्रिया एवं निबंधन प्रार्थना पत्र भी सरल एवं छोटा होना चाहिये। यह भी अपेक्षित है प्रारम्भिक 5 वर्शों में कोई निबंधन फीस का प्रावधान नहीं होना चाहिये।

3) विधेयक की धारा 16 (1) में षहरी इलाकों में मात्र 0.5 होर्स पावर तक के पंपसेट को निबंधन से मुक्त रखा गया है। अधिकांष जनपदों मे भूजल की गहराई को दृष्टिगत रखते हुए 0.5 होर्स पावर के पंपसेट से पानी को टंकी तक चढ़ाया जाना नामुमकिन व अव्यवहारिक है। इसे बढ़ाकर 2.00 किलोवाट किया जाना चाहिये।

4) विधेयक की धारा 18 (प) व 19 (1) के तहत उद्योगों को नाजुक स्थिति वाले क्षेत्रों में भूजल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी गयी है। इससे औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होगा व युवाओं को रोजगार के अवसर समाप्त होगे। ऐसे क्षेत्रों में नहरो द्वारा अथवा जलसंचय/जल रीचार्ज द्वारा भूजल के स्तर को ऊपर लाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा स्वयं प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये। इस प्रावधान का हम पुरजोर विरोध करते है।

5) विधेयक की धारा 19 के अर्न्तगत भूजल दोहन की मात्रा को निर्धारित किया जायेगा जिसके उपरान्त दोहन की स्वीकृति उद्योग को नहीं मिलेगी। इससे उन उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनको उत्पादन में अधिक मात्रा में जल की आवष्यकता होती है। यह प्रावधान उद्योगों के हित में नहीं है और इसमें उचित संषोधन लाया जाना चाहिये।

6) विधेयक की धारा 22 के अनुसार ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्रों में 2 बोरिंग के मध्य दूरी को नियन्त्रित करने का प्रयास अव्यवहारिक है चूंकि छोटे मकानों/उद्योगों में आपसी दूरी व्यवहारिक रूप से बहुत कम होती है और प्रत्येक इकाई को अपनी प्रयोग के लिए अलग बोरिंग की आवष्यकता हैं।

7) विधेयक की धारा 25 में किसी भी परिसर पर तलाषी एवं जब्ती/कुर्की का अधिकार है। उद्योग पहले ही विभिन्न अधिनियमों में तलाषी को भ्रष्टाचार का माध्यम मानते है। इस प्रकार के असीमित अधिकार को विधेयक से पूरी तरह हटा देना ही उचित होगा।

8) विधेयक की धारा 34 (1) के अनुसार प्रथम अपराध पर 5000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है जब कि द्वितीय एवं अनुवर्ती अपराध पर 6 महीने तक की सजा एवं 10000 रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। यह प्रावधान अत्यन्त कठोर है और इनमें प्रारम्भिक 2 वर्शों के लिए मात्र सांकेतिक जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए।

9) विधेयक की धारा 34 (2) के अनुसार भूजल को प्रदूशित करने को एक अपराध माना गया है जिसके लिये कम से कम एक माह एवं अधिक से अधिक एक वर्श की सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान उद्योग जगत के विकास के लिये नकारात्मक सिद्ध होगा। उद्योग को हर समय यह साबित करना होगा कि भूजल में प्रदूशण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। धारा 34 (1) व 34 (2) के प्रावधान भ्रष्टाचार का कारक बनेगे। हम इसका भरपूर विरोध करते है।

10) यह कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये उपकरण एवं व्यवस्था बनाने के लिये सरकार को उद्योगों को आर्थिक सहायता/सब्सिडी दिया जाना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर उद्योग भी यह व्यवस्था सुचारू रूप से लागू कर सके।

हमें पूर्ण विष्वास है कि विधेयक को अन्तिम रूप देने से पूर्व आप हमारी आपत्तियों और सुझावों को अवष्य दृष्टिगत रखेगे। हम आपको यह पूर्ण विष्वास दिलाते है कि उद्योग जगत पूरी तरह षासन की भूजल संरक्षण की मुहिम में आपके साथ है पर हमको यह भरोसा चाहिये कि यह विधेयक हमारे षोशण का यन्त्र न बने और न ही इससे औद्योगिक विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो।

धन्यवाद

भवदीय

अनिल गुप्ता
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः

1. श्री अनूप मिश्रा आई0ए0एस0, औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री श्रीकृश्ण, आई0ए0एस0, प्रमुख सचिव लघु उद्योग, लखनऊ ।
3. श्री वी0एन0 गर्ग, आई0ए0एस0, अधिषासी निदेषक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
4. मो0 इफतखारूद्दीन, आई0ए0एस0, आयुक्त एवं निदेषक उद्योग, उद्योग निदेषालय, कानपुर।

अनिल गुप्ता